रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2013/वैशाख 12, 1935
No. 11] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2013/VAISAKHA 12, 1935

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली , 22 अप्रैल, 2013

आ.अ. 13 (अ).– यतः राजस्थान विधान सभा के 2008 में आयोजित हुए साधारण निर्वाचन में 84–सपोतरा (अजजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से, जिसके परिणाम 8 दिसंबर, 2008 को घोषित किए गए थे, निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्रीमती शकुंतला पत्नी–श्री निर्मल मीणा, निवासी–जिरौता, तहसील–सपोतरा, जिला–करौली, राजस्थान, के लिए यह अपेक्षित था कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन की तिथि से तीस दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, करौली के समक्ष निर्वाचन खर्चों के अपने लेखा की सही प्रति दाखिल करें।

यतः, श्रीमती शकुंतला, जिला निर्वाचन अधिकारी, करौली के समक्ष निर्वाचन खर्चों का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 78 के अंतर्गत यथा–विनिर्धारित, अपना लेखा–जोखा दाखिल करने में विफल रही हैं जैसाकि निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी, करौली के द्वारा सूचित किया गया है।

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनसे यह अपेक्षा करते हुए नोटिस दिनांक 29–12–2010 जारी किया गया था कि वे नोटिस मिलने के 20 दिनों के भीतर अपना लेखा–जोखा प्रस्तुत करें। यह कहा गया था कि ऐसा नहीं करने पर वे तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचन लड़ने से निरर्हित कर दी जाएंगी। यह नोटिस श्रीमती शकुंतला के पति, श्री निर्मल मीणा को 27 जनवरी, 2011 को दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली जिला ने अपने पत्र सं. निर्वाचन/08/160 दिनांक 28–02–2011 के जरिए सूचित किया था कि श्रीमती शकुंतला ने रिपोर्टिंग की तिथि के दिन निर्वाचन खर्चों का अपना लेखा–जोखा दाखिल नहीं किया था; और इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश सं. 76/राजस्थान–विधान सभा/2011(1) दिनांक 7 जून, 2011 के जरिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अंतर्गत श्रीमती शकुंतला को उक्त अधिनियम एवं तदन्तर्गत बनाए गए नियमों एवं आदेश के द्वारा यथापेक्षित निर्वाचन खर्चों का अपना लेखा–जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए संसद/राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन का निर्वाचन लड़ने से निरर्हित कर दिया था; और

यतः, श्रीमती शकुंतला ने यह कहते हुए आयोग के समक्ष आवेदन दाखिल किया था कि वे जिला निर्वाचन अधिकारी, करौली के कार्यालय में निर्वाचन खर्चों का दिन–प्रति–दिन का लेखा–जोखा प्रस्तुत करती रही थीं। उनका पहला निर्वाचन होने के कारण वे 8–12–2008 को परिणाम की घोषणा होने के उपरांत लेखा–जोखा दाखिल करने की नियमपरक वस्तुस्थिति से भली–भांति अवगत नहीं थी और वे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा होने के उपरांत अस्वस्थ हो गई थीं। इसके अलावा, जिला निर्वाचन अधिकारी, करौली कार्यालय से किसी भी व्यक्ति ने लेखा–जोखा प्रस्तुत करने के बारे में न तो उन्हें बताया और न ही उन्हें अब तक निरर्हता आदेश तामील किया गया है ।

यतः, श्रीमती शकुंतला ने अपनी निरर्हता हटाने के अनुरोध के साथ अपने शपथ–पत्र के सहित आयोग के समक्ष निर्वाचन व्यय का अपना लेखा–जोखा भी मूल रूप में प्रस्तुत किया है ।

अतः, अब मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा श्रीमती शकुंतला द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन पर अधिरोपित निरर्हता को हटाने का निर्णय लिया है ।

परिणामतः, आयोग के आदेश संख्या 76/राजस्थान–विधान सभा/2011 (I) दिनांक 7–6–2011 में क्रम संख्या 5 पर मौजूद श्रीमती शकुंतला का नाम 22 अप्रैल, 2013 से उक्त आदेश से हटा दिया गया समझा जाएगा।

[सं. 76/राजस्थान–विधान सभा/84/2009]

आदेश से,

शंगारा राम, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 22nd April, 2013

O.N. 13(E).—Whereas, Smt. Sakuntala W/o Nirmal Meena resident of Jirouta, Tahsil – Sapotra, District- Karauli, Rajasthan contested the General Election to the Legislative Assembly of Rajasthan held in 2008 from 84-Sapotra(ST) Assembly Constituency, result thereof was declared on 8th December 2008 and as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, she was required to file her true copy of the account of election expenses before the District Election Officer, Karauli within thirty days from the date of election.

Whereas, Smt. Sakuntala failed to file her account of election expenses before the District Election Officer, Karauli as stipulated under the said Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 as reported by the District Election Officer, Karauli under Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

Whereas, a Notice dated 29-12-2010 was issued by the Election Commission of India, requiring her to submit her accounts within 20 days of the receipt of notice failing which it was stated that she would be disqualified from contesting elections for a period of three years. The notice was delivered to Shri Nirmal Mina, husband of Smt. Sakuntala on 27th January, 2011, and

Whereas, the District Election Officer & District Collector, Karauli District had intimated vide his letter No. Elec./08/160, dated 28-2-2011 that Smt. Sakuntala had not filed her account of election expenses as on

the date of reporting; and so the Election Commission of India vide its order No. 76/RJ-LA/2011(1) dated 7th June, 2011 disqualified Smt. Sakuntala from contesting elections of any House of the Parliament./State Legislature under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for failure to lodge her account of election expenses as required by the said Act and the Rules and order made there under; and

Whereas, Smt. Sakuntala filed an application before the Commission stating that she had been submitting day-to-day accounts of election expenses in the office of District Election Officer, Karauli. Being her first election, she was not well - versed with the rule position of filing of accounts after declaration of result on 8-12-2008 and she got sick after the declaration of result of the election. Further, no one from the District Election Officer, Karauli office, communicated to her about submission of accounts and neither the notice nor the disqualification order has been served to her so far.

Whereas, Smt. Sakuntala has also submitted, her accounts of election expenditure in original before the Commission alongwith her affidavit with request to remove her disqualification.

Now, therefore, after taking into consideration all facts and circumstances of the case and the submission made by Smt. Sakuntala, the Commission in exercise of the power conferred by Section 11 of the Representation of the People Act, 1951, has decided to remove the disqualification imposed upon her w.e.f. 22-4-2013. Consequently, the name of the said candidate Smt. Sakuntala appearing at Sl. No. 5 in the Commission's Order No. 76/RJ-LA/2011(I) dated 7-6-2011, shall be deemed to have been omitted from the said order with effect from 22nd April, 2013.

[No.76/RJ-LA/84/2009]

By Order,
SHANGARA RAM, Principal Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.